मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

203/9 नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

फोन नं0–0522–2614721 ई मेल–lkomdm@gmail.com वेब साइट– www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/C-1365/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में मृत्यु/त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त होने रसोइयों के पद पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कतिपय जनपद यथा कानपुर नगर, अलीगढ़, बाराबंकी, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, गोण्डा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, हाथरस, शाहजहाँपुर एवं मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में मृत्यु/त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त हुये रसोइयों के पद पर चयन के लिये मार्गदर्शन/निर्देश की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त के क्रम में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक–815/अरसठ–4–2021– 143/2019 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में विशेष कारणों यथा–उन विद्यालयों में जहाँ रसोइयों की मृत्यु हो जाने, अन्यत्र प्रवास करने, निजी कारणों से त्यागपत्र देने अथवा ग्राम प्रधान बन जाने इत्यादि कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त हुये रसोइयों के पद पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 तथा शासनादेश संख्या–1195/अड़सठ–3–2019 दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी से अवगत कराया गया है।

अतः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त विशेष कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त रसोइयों के पद पर नियुक्ति हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त्।

भवदीय,

(उदय भान)
उप निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग–4।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।

(उदय भान)
उप निदेशक

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

203/9 नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

फोन नं0–0522–2614721 ई मेल–lkomdm@gmail.com वेब साइट– www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/C-1365/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में मृत्यु/त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त होने रसोइयों के पद पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कतिपय जनपद यथा कानपुर नगर, अलीगढ़, बाराबंकी, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, गोण्डा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, हाथरस, शाहजहाँपुर एवं मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में मृत्यु/त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त हुये रसोइयों के पद पर चयन के लिये मार्गदर्शन/निर्देश की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त के क्रम में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक–815/अरसठ–4–2021– 143/2019 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में विशेष कारणों यथा–उन विद्यालयों में जहाँ रसोइयों की मृत्यु हो जाने, अन्यत्र प्रवास करने, निजी कारणों से त्यागपत्र देने अथवा ग्राम प्रधान बन जाने इत्यादि कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त हुये रसोइयों के पद पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 तथा शासनादेश संख्या–1195/अड़सठ–3–2019 दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी से अवगत कराया गया है।

अतः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त विशेष कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त रसोइयों के पद पर नियुक्ति हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त्।

भवदीय,

(उदय भान)
उप निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग–4।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।

(उदय भान)
उप निदेशक

शासन-232
MDM

संख्या– 815 / अरसठ–4–2021–143 / 2019

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 21 अक्टूबर, 2021

विषयः– मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में मृत्यु / त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त हुये रसोइयों के पद पर चयन के सम्बन्ध में।

DD-I

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–म0भो0प्रा0 / 980 / 2021–22 दिनांक 14.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विशेष कारणों यथा–रसोइयों की मृत्यु हो जाने, अन्यत्र प्रवास करने, निजी कारणों से त्यागपत्र देने अथवा ग्राम प्रधान बन जाने इत्यादि कारणों से रिक्त हुये रसोइयों के पद पर रसोइयां चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या–1195 / अड़सठ–3–2019 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पूर्ण कराकर मध्यान्ह भोजन योजना का सुचारू रूप से संचालन कराने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

21/10/21

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–477 / अरसठ–4–2021–604 / 2020, दिनांक 14 जुलाई, 2021 के प्रस्तर–2(1) में उल्लिखित व्यवस्था–रसोइयों की संख्या का पुनर्निधारण एवं नवीनीकरण / चयन का कार्य कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स्थगित रखा जायेगा, को तत्कालिक प्रभाव से इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में विशेष कारणों यथा– उन विद्यालयो में जहाँ रसोइयों की मृत्यु हो जाने, अन्यत्र प्रवास करने, निजी कारणों से त्यागपत्र देने अथवा ग्राम प्रधान बन जाने इत्यादि कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त हुये रसोइयों के पद पर चयन / नियुक्ति की कार्यवाही शासनादेश संख्या–435(1) / 79–6–2010, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 तथा शासनादेश संख्या–1195 / अड़सठ–3–2019, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3– उक्तानुसार की जा रही व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु केवल उन विद्यालयों पर लागू होगी जहां उक्त विशेष कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष पद रिक्त हुए हैं। शासनादेश संख्या–477 / अरसठ–4–2021–604 / 2020, दिनांक 14 जुलाई, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4– कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

–2/

Su.mdm.go.dell

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–।

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3– शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0 लखनऊ/राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ/ निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ/ निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ/निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
11– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
12– अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।